



दिनांक: 05-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.09.23 को थाना बेहट पुलिस द्वारा फरार चल रहे वारण्टी अभियुक्त **वकील पुत्र वाजिद नि0 ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0-516/22 धारा 125(3) CRPC मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय सहारनपुर चालानी थाना बेहट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वारण्टी का नाम व पता-

1. वकील पुत्र वाजिद नि0 ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 299/2020 धारा 323/498ए/504/506 भादवि व ¾ दहेज अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 मनोज वर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. का0 1441 अजीत नैन थाना बेहट जिला सहारनपुर।



दिनांक: 05-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ महिला से पर्स लूट के 03 शातिर लूटेरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूट का सामान, 01 मोटरसाइकिल व असलाह

बरामद:-

- 03 अदद तमन्चे 315 बोर,
- 05 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 3000- रुपये नकद
- 01 आधार कार्ड
- 01 लेडिज पर्स
- 01 मोटरसाइकिल (लूट मे प्रयुक्त)

अवगत कराना है कि दिनांक 18.08.2023 को वादी श्री राहुल सैनी पुत्र राकेश सैनी निवासी ग्राम रसीदगढ थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा लिखित तहरीर बाबत मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात लडको ने पीछे से आकर मेरी पत्नी का पर्स जबरदस्ती छीन लेने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 136/23 धारा 392 भादवि बनाम 03 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व लूटेरो की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी नानौता को आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर दिल्ली-सहारनपुर रोड पर गंगनहर पुल के पास चैकिंग की जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये और पुलिस द्वारा उनको रूकने का ईशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा किसी तरह अपना बचाव करते हुए घेराबन्दी कर तीनों बदमाश 1. अजय उर्फ जीता पुत्र रामपाल नि0 जसाना मस्तगढ थाना थाना भवन जनपद शामली, 2. सागर वर्मा पुत्र कंवरपाल नि0 निकट कोशम्भी स्कूल गली न0 01 दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली व 3. सोनू पुत्र राजपाल नि0 जसाना मस्तगढ थाना थाना भवन जनपद शामली को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ जीता के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 तथा लूट के 1000/- रुपये, अभियुक्त सागर वर्मा के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर तथा लूट के 1000/- रुपये, व अभियुक्त सोनू के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर तथा लूट के 1000/- रुपये बरामद किये गये। लूट मे प्रयुक्त एक दिल्ली से चोरी 01 मोटरसाइकिल काले रंग की स्पेलण्डर यू0पी0-17- 5394 बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 147/23 धारा 34/307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम 1. अजय उर्फ जीता 2. सागर वर्मा व 3. सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया

। मु0अ0स0 136/23 मे बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- पूछताछ पर तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हमारे द्वारा दिनांक 18.08.2023 को मोटरसाईकिल पर सवार होकर नानौता से सहारनपुर जाने वाले हाईवे पर जैन मंदिर के पास मोटरसाईकिल सवार एक महिला से एक लेडिज पर्स छीना था छीना झपटी में महिला मोटरसाईकिल से नीचे गिर गयी थी। हम तीनों पर्स छीनकर सहारनपुर की तरफ खुडाना नहर पुल से बांयी तरफ मुडकर गंगनहर पटरी से वापस शामली की तरफ भाग गये थे। हमने गंगनहर पटरी पर डेरे वाले पुल के पास जाकर उस पर्स को चैक किया था तो उसमें शगुन के दो पीले लिफाफो में 500-500/-रु0 के दो-दो नोट रखे थे तथा 20/-रु0 के नये नोटो की एक गड्डी जिस पर कलावा बंधा था पर्स में रखी थी कुल 4000/- रु0 मिले थे जिनमें से हमने 20/- रु0 के नोटो की गड्डी मे से निकालकर एक हजार रुपये खाने पीने में खर्च कर दिये तथा हम तीनों पर 1000/-1000 रुपये जो बरामद हुए है ये उसी लूट के बचे हुए रुपये है उस बैग मे से एक आधार कार्ड भी मिला था जिसे अजय ने अपने पास रख लिया था इस आधार कार्ड को हम किसी काम मे ले लेते तथा एक छोटा सैमसंग कम्पनी का की पैड वाला मोबाईल फोन भी बैग में मिला था जिसे भी अजय ने रख लिया था तथा उस महिला का पर्स जिसमें कुछ कार्मेटिक का सामान बचा था वह हमने बैग सहित वहीं गंगनहर पर डेरे वाले पुल के पास फेंक दिया था 500/- के दो दो नोट जिन लिफाफो में रखे थे तो हमने नोट निकालकर वो लिफाफे भी उसी पर्स मे छोड दिये थे तथा यह मोटरसाईकिल जो हमसे बरामद हुई है। इसी मोटरसाईकिल से हम तीनों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया था यह मोटरसाईकिल भी चोरी की है इस मोटरसाईकिल को भी हम तीनों ने मिलकर दिल्ली से चोरी किया था।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. अजय उर्फ जीता पुत्र रामपाल नि0 जसाना मस्तगढ थाना थाना भवन जनपद शामली
2. सागर वर्मा पुत्र कंवरपाल नि0 निकट कोशम्भी स्कूल गली न0 01 दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली
3. सोनू पुत्र राजपाल नि0 जसाना मस्तगढ थाना थाना भवन जनपद शामली

अभियुक्त अजय उर्फ जीता का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 0350/2021 धारा 379/411 भादवि थाना थाना भवन शामली
2. मु0अ0सं0 136/23 धारा 392 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 147/23 धारा 34/307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

अभियुक्त सागर वर्मा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 052/22 धारा 392/411 भादवि थाना आदर्श मंडी शामली
2. मु0अ0स0 215/22 धारा 379/411 भादवि थाना शामली जनपद शामली
3. मु0अ0स0 0240/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता स0पुर
4. मु0अ0सं0 136/23 धारा 392 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 147/23 धारा 34/307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 136/23 धारा 392 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 147/23 धारा 34/307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

बरामदगी का विवरण :-

1. 03 अदद तमन्चे 315 बोर,
2. 05 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर (अ0स0 147/23 धारा 34/307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित)
3. 3000- रु0 नकद (लूट के)
4. 01 आधार कार्ड (अ0स0 136/23 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित)
5. 01 लेडिज पर्स (01 बिन्दी का पत्ता, 01 नेल पोलिस, 01 लिपिस्टिक, 01 सिंदूर की डिब्बी, 02 हैयर बैंड आदि) (अ0स0 136/23 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित)
6. 01 मोटरसाइकिल काले रंग की स्पेलण्डर यू0पी0-17- 5394 (लूट मे प्रयुक्त दिल्ली से चोरी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
4. है0कां0 829 सुमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
5. है0कां0 314 प्रवेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
6. का0 398 नरदेव थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
7. का0 645 प्रमोद कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।



दिनांक:05-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
बेहट पुलिस द्वारा फरार चल रहे पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 394/23 धारा 452/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0** में पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त **सादिक पुत्र हमीद निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर** को आज दिनांक 05.09.2023 को ग्राम पथरवा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सादिक उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वांछित का नाम व पता-

1. सादिक पुत्र हमीद निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रामकिशन सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 05.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 नशा तस्कर अभियुक्तों को 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम/बरामदगी तथा शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री विकास सिंघल द्वारा मय हमराही फोर्स के आज दिनांक-05.09.23 को दौराने चैकिंग अभियुक्तगण 1. फरमान पुत्र तालिब निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर व 2. सरवर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर को थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामदा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० – 262/2023 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम दोनो सस्ते दामों पर हरियाणा से शराब लाकर अपने आस-पास के लोगों को ज्यादा रूपयों में बेच देते हैं। जिससे हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। और हम अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. फरमान पुत्र तालिब निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर
2. सरवर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त फरमान

1. मु०अ०सं० 044/20 धारा 63 आबकारी अधि० सरसावा स०पुर
2. मु०अ०सं० 262/23 धारा 63 आबकारी अधि० सरसावा स०पुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सरवर

1. मु०अ०सं० 066/2016 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा स०पुर
2. मु०अ०सं० 070/2020 धारा 60 आबकारी अधि० थाना सरसावा स०पुर
3. मु०अ०सं० 0383/2021 धारा 63 आबकारी अधि० थाना सरसावा स०पुर
4. मु०अ०सं० 500/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा स०पुर
5. मु०अ०सं० 262/2023 धारा 63 आबकारी अधि० थाना सरसावा स०पुर

बरामदगी का विवरण

24 बोतल देशी शराब हरि० मार्का (दोनो अभियुक्तों से 12 – 12 बोतल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० श्री विकास सिंघल, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है०कां० 951 सुधीर उज्ज्वल, थाना सरसावा सहारनपुर
3. का० 2475 देवेन्द्र शर्मा, थाना सरसावा सहारनपुर
4. का० 1831 सरल प्रताप सिंह थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक:05-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

बेहट पुलिस द्वारा फरार चल रहे पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 394/23 धारा 452/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 में पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त सादिक पुत्र हमीद निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर को आज दिनांक 05.09.2023 को ग्राम पथरवा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सादिक उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वांछित का नाम व पता-

1. सादिक पुत्र हमीद निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रामकिशन सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक:-05.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 300 ग्राम

अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशों के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त **सुनील उर्फ काली पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को बुडेढा कट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-263/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुनील उर्फ काली पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

300 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 0060/2023 धारा 380/411 आईपीसी थाना सरसावा स0पुर
2. मु0अ0स0 0082/2023 धारा 380/411 आईपीसी थाना नकुड़ स0पुर
3. मु0अ0स0 0061/2023 धारा 411/414 आईपीसी व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा स0पुर
4. मु0अ0स0 00247/2021 धारा 272/273 आईपीसी व 63 आ0अधि0 थाना सरसावा स0पुर
5. मु0अ0सं0 157/2012 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 - 263/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 ललित कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 639 मुकेश, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 892 अजय राठी, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. हे0का0 1006 तरुण त्यागी, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 05-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज छुरा व चोरी किये गये 03 मोबाइल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियुक्तों की धर-पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.09.2023 को अभियुक्त अबरार पुत्र अन्जर निवासी मोहल्ला अनारकली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को सबदलपुर गंगोह रोड से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक नाजायज छुरा व चोरी किये गये तीन मोबाइल बरामद किये गये। अभियुक्त अबरार उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 255/23 धारा 414 भादवि व 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अबरार उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोबाइल मैंने रेलवे स्टेशन सहारनपुर से चोरी किये थे, आज मैं इन मोबाइलों को बेचने के लिये आया था कि पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। मेरे पास से जो छुरा बरामद हुआ है उसे मैं लोगो को डराने के लिये अपना पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अबरार पुत्र अन्जर निवासी मोहल्ला अनारकली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 03 चोरी किये गये मोबाइल फोन
- 01 नाजायज छुरा

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 289/21 धारा 457/380/411/427 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 291/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 255/23 धारा 414 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 05/09/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा लूट के शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 19,600/- रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त एक्टवा स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.9.2023 को वादी श्री फूलसिंह पुत्र नानक सिंह निवासी ग्राम कोरी माजरा नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा बाबत अज्ञात व्यक्ति ने वादी को उसके बेटे का परिचित बताकर अपनी स्कूटी पर बैठा लेने व घण्टाघर से पहले आसाम चाय के सामने झटके से वादी को उतारने और एकदम से वादी के हाथ से पैसों का थैला (जिसमें 20,000 रु थे.) छीन कर ले जाने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 383/23 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए लूट की घटना के सफल अनवारण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05-09-2023 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूट के अभियुक्त 1.तैय्यब पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कालोनी गली नं0 4 अमजद नगर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को पंजाब होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूट के 19,600/- रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त स्कूटी एक्टवा UP11BD 5409 रंग नीला बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं अपनी स्कूटी को रेलवे स्टेशन, बैंक व पोस्ट आफिस के आसपास लगाकर लोगों पर नजर रखता हूं तथा जिस व्यक्ति पर बैग वगैरा देखता हूं उसके पास जाकर नमस्ते कर उससे परिचय कर अपनी स्कूटी बैठा लेता हूं, फिर उसे पुलिस चैंकिंग होने की बात कह कर डराकर उसका बैग अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख लेता हूं तथा मौका देखकर उस व्यक्ति को धक्का देकर/ धमकाकर बैग छीनकर स्कूटी से भाग जाता हूं। कुछ दिन पहले भी मैंने घण्टाघर आसाम चाय के पास एक वुजुर्ग के साथ 20000 रु घटना की थी। इसके अलावा मैंने सहारनपुर शहर में अलग-2 जगह पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर बैग लूटा है आज भी मैं घटना करने के लिए पंजाब होटल के पास खड़ा था।

अभियुक्त का नाम पता:-

1. तैय्यब पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कालोनी गली नं0 4 अमजद नगर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 19,600/- रुपये नकद बरामद
- घटना में प्रयुक्त स्कूटी एक्टवा UP11BD 5409 रंग नीला.

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 303/21 धारा 414 भादवि थाना कुशेर स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजेन्द्र रावल सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0137 संजय मलिक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 738 विनोद थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. का0 2019 राहुल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर